मु०सं० 87/19 जगपत v/s ग्राम पंचायत नारेह
प्रा० पत्र 212 R.T. Act

14-3-22 वकुलादे [illegible] उपस्थित।
पीठासीन [illegible] तौर/अवकाश
पर है। [illegible] है।
पत्रावली 2-5-22 को पेश हो।

2/5/22 अधिवक्ता गणों द्वारा अभियाचन
की पुनः तिथि हेतु नोटिस तामील
पेश किया गया है। पत्रावली दि
3/6/2022 को पेश हो।

3-6-22 वकुलादे करीकेन उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी तौर/अवकाश
पर है। अन्य कार्यों में व्यस्त है। [illegible]
पत्रावली दि. 10-8-22 को पेश हो।

10-8-22 अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।
अभिभाषक संघ ने कोर्ट कार्य स्थगित
रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य
कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली
दिनांक 30-9-22 को पेश हो।

30.9.22 अधिवक्ता गणों अनुपस्थित। अधि
वक्ता गणों को बार-बार अवा
लगवाई गई। लेकिन न्यायालय
समय समाप्ति तक गणों एवं अ
वक्ता गणों कोई भी उपस्थित
नहीं आए इसलिए गणों का
[illegible] एवं
इस पूरा में [illegible]
जाता है। पत्रावली निर्णित [illegible]
होने [illegible] है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rishav Mandal
Date: 2022.12.14 17:29:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि